न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:–6/16

दायर दिनांक:–02.02.2016 **निर्णय दिनांक :–11.12.2019**

उनवान

गणेशी पत्नि मन्नू पुत्री भैरोंलाल उम्र 62 वर्श जाति छीपा निवासी 352/3 नन्दा नगर इन्दौर म.प्र.।

–वादीनी

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र भैरोलाल जाति छीपा निवासी 253 जगजीवनराम नगर पाटनीपुरा चौराहा इन्दौर म.प्र.।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन घोषणा व स्थाई निशेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. श्री अरविन्द शर्मा अभिभाशक (वादीनी)

2. श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक (प्रतिवादीकम–1)

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

ग्राम देवरी में खसरा नम्बर 482 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 625 रकबा 4.10 बीघा कृशि भूमि वर्तमान खाता जमाबन्दी संख्या 451 सम्वत 2071–74 में प्रतिवादीकम–1 के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी के मूल खातेदार वादीनी के पिता भैरोंलाल थे, जिनकी मृत्यु के बाद तस्दीक किये गये फौती नामान्तरण 330 दिनांक 21.02.78 में वादीनी का नाम दर्ज नहीं कर सर्वथा अवैध तौर पर केवल भगवानलाल गोविन्दप्रसाद मदनलाल का नाम दर्ज किया गया, विवादित आराजी का मूल रकबा खसरा नम्बर 482 रकवा 3.04 बीघा, खसरा नम्बर 625 रकबा 5.04 बीघा था, जिसमें से खसरा नम्बर 482 का 0.238 है0 खसरा नम्बर 625 का 0.112 है0 रकबा एन.एच.ए.आई फोरलेन रोड में अवाप्त हो चुका है, जिसका मुआवजा प्रतिवादीकम–1 ने प्राप्त किया है, उक्त अवाप्तशुदा रकबे का मुआवजा प्रतिवादीकम–1 के द्वारा प्राप्त किये जाने से उक्त अवाप्त शुदा रकबा प्रतिवादीकम–1 के हिस्से से कम किये जाने योग्य है। विवादित भूमि वादीनी के पिता के खाते की है, पिता के खाते की ही ग्राम देवरी में स्थित कृशि भूमि खसरा नम्बर 622, 624/1857 में जरिये फौती इन्तकाल संख्या 748 दिनांक 03.06.1993 से वादीनी का 1/4 हिस्से से नाम दर्ज किया गया है, विवादित भूमि में वादी का 1/4 हिस्से से नाम दर्ज किया जाना चाहिये था, सर्वथा अवैध व विधि विरूद्व रूप से विवादित भूमि में वादीनी का नाम दर्ज नहीं किया गया, वादीनी मृतक भैरोलाल की पुत्री होने से विवादित

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

भूमि में 1/4 हिससे से माननीय न्यायालय से घोषणा व विभाजन तथा स्थाई निशंधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वाद कारण दिनांक 21.11.14 को विवादित आराजी की खाता जमाबन्दी लेने पर व उसके बाद रिकार्ड की नकलें लेने पर उत्पन्न हुआ है। अतः वादपत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम देवरी में खसरा नम्बर 482 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 625 रकबा 4.10 बीघा कृशि भूमि वर्तमान खाता जमाबन्दी संख्या 451 सम्वत 2071–74 में प्रतिवादीकम–1 के नाम दर्ज रिकाड्ड है, के मूल रकबे खसरा नम्बर 482 की 3.04 बीघा, खसरा नम्बर 625 की 5.04 बीघा के अनुसार वादीनी को खातेदार कृशक घोशित किया जाकर वादीनी को उसके हिस्से अनुसार खाता पृथक कर दखल दिया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीनी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीकम–1 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 482 व 625 स्थित होना स्वीकार है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीकम–1 के नाम चल रही है, जो प्रतिवादीकम–1 के नाम पिछले 40 वर्श से लगातार खाते में चली आ रही है, भैरालाल की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल नम्बर 330 दिनांक 21.02.1978 को खोला गया, उसमें भगवानलाल गोविन्दप्रसाद व मदनलाल का नाम दर्ज किया गया और तभी से यह भूमि इनके नाम चली आ रही है। गोविन्दप्रसाद व मदनलाल ने अपना हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड तर्कनामा दिनांक 04.05.2002 से प्रतिवादीकम–1 के पक्ष में तर्क कर दिया, तभी से यह भूमि प्रतिवादीकम–1 के नाम बतौर खातेदार कृशक चली आ रही है, फोरलेन का मुआवजा कौनसे साल व सम्वत में दिया गया यह वादीनी ने नहीं बताया क्योंकि फोरलेन बनने से पूर्व यह भूमि शामलाती खाते में थी, इस कारण वादीनी का यह कहना कि उसका मुआवजा केवल प्रतिवादी क्रम 1 ने प्राप्त किया है गलत है, इसके लिये वादीनी को अवार्ड वादपत्र की नकल पेश करनी चाहिये थी, उसके अभाव में यह मद स्वीकार नहीं की जा सकती तथा 1975 में भैरोलाल की मृत्यु हुई है, उस समय भगवानलाल गोविन्दप्रसाद मदनलाल के नाम इन्तकाल खोला गया तभी से यह भूमि तीनों के नाम चलती रही, क्योंकि इस प्रकरण में वर्तमान समय में गोविन्दप्रसाद व मदनलाल को पक्षकार नहीं बनाया है जो एक आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि वादीनी इन्तकाल नम्बर 330 दिनांक 21.02.2078 को चुनौती दे रही है, उस समय जो इन्तकाल खोला गया उसमें भगवानलाल गोविन्दप्रसाद व मदनलाल के नाम खोला गया था, इस कारण यदि वादिया को मुकदमा चलाना है तो वह दोनों भी इसमें आवश्यक पक्षकार है, उनको पक्षकार बनाये बिना यह वाद चलने योग्य नहीं है।.

जबाव दावे में विशेश आपत्तियां अन्तर्गत प्रतिवादीकम–1 का कथन रहा है कि उक्त वाद में स्वयं वादीनी ने मद कमांक 2 में बताया है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में इन्तकाल नम्बर 330 दिनांक 21.02.1978 को भगवानलाल, गोविन्दप्रसाद व मदनलाल के नाम दर्ज किया था और वादीनी इसी इन्तकाल को निरस्त करबा कर इसमें अपना नाम जुडवाना चाहती है, क्योंकि गोविन्दप्रसाद व मदनलाल ने अपना हिस्सा रजिस्टर्ड हकतर्क नामा के जरिये वर्श 2002 में प्रतिवादीकम–1 के पक्ष में तस्दीक कराया है, चूंकि वादीनी इन्तकाल नम्बर 330 को चुनौती दे रही है तो गोविन्दप्रसाद व मदनलाल भी वाद के आवश्यक पक्षकार हैं, जिन्हे पक्षकार बनाये बिना यह वाद चलने योग्य नहीं है। वाद महज प्रतिवादी को परेशान करने की गरज से पेश किया गया है, ग्राम देवरी में फोरलेन रोड 2006 के बाद निकला है, जबकि वर्श 2002 में ही मदनलाल व गोविन्दप्रसाद द्वारा हकतर्क किया गया था, चूंकि वर्तमान समय में फोरलेन निकलने से भूमि के दाम बढे है, इस कारण प्रतिवादीकम–1 को परेशान करने के लिये दावा

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉ (राज.)

Scanned by CamScanner

पेश किया है। गोविन्दप्रसाद भगवानलाल व मदनलाल एवं वादीनी गणेशीबाई द्वारा बचत खाता नम्बर 3514 हाडौती क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक देवरी में खुलवाया था और समस्त मुआवजा इसी खाते में गया है, जिसे गोविन्दप्रसाद भगवानलाल मदनलाल व गणेशीबाई द्वारा ही उठाया गया है, इसलिये गणेशीबाई का कथन गलत है, वादग्रस्त भूमि में वादिया का कोई हक व हिस्सा नहीं है, क्योंकि विवादित भूमि भैरोलाल के खाते की है, भैरोंलाल की मृत्यु वर्श 1978 के पूर्व हो चुकी है, इस बात को वादीनी स्वयं मानती है, इस कारण वादग्रस्त भूमि में वादिया का कोई हक व हिस्सा नहीं है। हिन्दु कानून संशोधन अनुसार वर्श 09.09.2005 के बाद ही लडकी को अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार मिले हैं, उसके पूर्व लडकी को कोई अधिकार नहीं थे, कानूनी दृष्टि से भी पिछले 40 वर्श से वादिया का चुप बैठना संकेत करता है कि वादिनी की इस भूमि में कोई रूचि नहीं है। यह इन्तकाल नम्बर 748 दिनांक 03.06.93 भी वादिया के पक्ष में गलत तस्दीक किया गया है, जिसे निरस्त करवाने के लिये प्रतिवादी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर रहा है, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीनी का कोई हिस्सा नहीं है और ना ही वादीनी प्राप्त करने की अधिकारी है। फोरलेन निकल जाने से जमीन कीमती हो गई है, इस कारण वादीनी के मन में बेईमानी आ गई है, इस प्रकार झूंठे मुकदमें पेश करके वादीनी द्वारा प्रतिवादीकम–1 को परेशान किया जा रहा है।

प्रकरण कायमी तनकीयात हेतु नियत था कि दिनांक 25.07.2019 को वादीनी तथा प्रतिवादीकम–1 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा पेश किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया गया। मुताबिक राजीनामा वादीनी ने जाहिर किया कि पिता भैरोंलाल के दर्ज किये गये फौती नामान्तरण के समय ही वादीनी ने अपना हिस्सा प्रतिवादीकम–1 के हक में तर्क कर दिया था, इस कारण वादग्रस्त आराजी में उसका कोई हक व अधिकार शेश नहीं रहा है तथा आपसी समझायश अनुसार उसका प्रतिवादीकम–1 से राजीनामा हो गया है और वादीनी प्रतिवादी के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं कर दावे का इसी स्तर पर निस्तारण चाहती है।

अतः वादीनी तथा प्रतिवादीकम–1 के मध्य हुये प्रस्तुत राजीनामा की रूह में वादीनी का वाद सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदानुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉ (राज०)

01-Jan-20 11:09:24 PM

Scanned by CamScanner